

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)**  
**पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्वाकर्, आर.ए.एस**

राजस्व विविध प्रकरण Gcms No 2023/75

दायरा तिथि : 06.01.2023

आदेश तिथि: 27-11-2024

प्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)

तहसीलदार, बाली

बनाम

अप्रार्थी :-

बगदा पुत्र खंगार जाति सीरवी निवासी सेवाडी तहसील बाली

--: आदेश :-

दिनांक : 27-11-2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति की जांच के पश्चात् ग्राम सेवाडी स्थित भूमि खसरा नंबर 1159 रकबा 0.51 हैक्टर किस्म चाही प्रथम की भूमि कृषि भूमि होने तथा मौके पर खातेदार द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मकान बनाकर अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामील होने के बाद अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नेकाराम चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी के अधिवक्ता को जवाब हेतु पर्याप्त समय अवसर देने के बावजूद अप्रार्थी अधिवक्ता जवाब पेश करने में विफल रहने पर इनके जवाब अवसर को बंद किया जाता है।

प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं करने तथा भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहने से वकूलाय की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा बहस में दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सेवाडी स्थित भूमि खसरा नंबर 1159 रकबा 0.51 हैक्टर किस्म चाही प्रथम की भूमि कृषि भूमि है, परन्तु मौके पर खातेदार द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मकान बना लिये हैं तथा मौके पर आवासीय प्रयोजन उपयोग में ली जा रही है, अप्रार्थी का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन है। अतः वर्णित भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानों का भी अवलोकन किया गया। धारा 177. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली-(1) आसामी भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित आधार पर अपने भूमि क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा-

(क) किसी ऐसे कार्य के करने अथवा न करने की त्रुटि के आधार पर जो उस भूमि क्षेत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति में हो, जिसके लिये उक्त भूमि क्षेत्र पट्टे पर दिया हो, या

(ख) इस आधार कि उसने या उससे लेकर भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्तों का उल्लंघन किया है जिसके उल्लंघन करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विशेष के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ नहीं हैं।

इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सेवाडी स्थित भूमि खसरा नंबर 1159 रकबा 0.51 हैक्टर किस्म चाही प्रथम की भूमि कृषि भूमि है। परन्तु पटवारी हल्का, सेवाडी की मौका फर्द दिनांक 20.12.2022 के अनुसार वर्णित भूमि में मौके पर खातेदारान द्वारा मकान बना लिये हैं तथा भूमि का मौके पर कृषि उपयोग न होकर अकृषि प्रयोजन आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है। जबकि काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कृषक को अपनी खातेदारी भूमि कृषि प्रयोजन उपयोग में लेने के ही अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार उक्त भूमि के संबंध में खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जिससे धारा 177 के अनुसार हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली का अधिकारी बनता है। जिससे प्रार्थी भूमिधारी के आवेदन अनुसार वर्णित भूमि को राजकीय सिवाय चक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, बाली धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम सेवाडी स्थित भूमि खसरा नंबर 1159 रकबा 0.51 हैक्टर किस्म चाही प्रथम को राजकीय सिवायचक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, बाली आदेश की पालना में भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा सरकार लेते हुये पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेवाडी की पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(श्री दिनेश विश्वाकर्)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 27-11-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली